



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

**“प्रभावी पैरवी कर घर में घुसकर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 03 अभियुक्तगणों को 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”**



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु0अ0सं0-1179/2009 धारा-452,323,504 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एससीएसटी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.शिवराम यादव पुत्र चुनवाद 2.गोपाल पुत्र शिवराम यादव 3.कैलाश पुत्र शिवराम यादव निवासीगण अरतरा थाना मौदहा, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹30,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
विशेष लोक अभियोजक  
विजय सिंह



विवेचक-  
सीओ  
ए0के0 सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा  
का0 शुभम यादव